कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

//अंतिम सार्वजनिक सूचना//

क्रं./न.नि.भि./भ.अ./418/2026 **भिलाई, दिनांक 02/07/2026**

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग के पत्र क्रमांक 1734 दिनांक 23.05.2009 के माध्यम से ग्राम कोहका, प.ह.नं. 14, खसरा क्रमांक 2047/2, 03, 04, 05 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर पर मेंसर्स लैण्डमार्क डेवलपर्स, प्रो. श्री रविन्द्र सिंह कुशवाहा, आनंद नगर, भिलाई द्वारा प्रस्तावित आनंद पुरम फेस–02 हेतु आवासीय (भूखण्डीय) विकास अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी, स्वीकृत विकास अनुज्ञा में दर्शित शर्तो तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10 में दर्शित प्रावधान अनुसार भिलाई गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कमजोर आय वर्ग (EWS) हेतु कुल योजना भूमि का 15% रकबा 26393 वर्ग फीट आरक्षित रखा जाना था, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 47 के प्रावधान अनुसार सामुदायिक खुला क्षेत्र कुल योजना क्षेत्र का 10% अर्थात 17538 वर्ग फीट आरक्षित रखा जाना था, जिसे उनके द्वारा अप्राधिकृत रूप से भूखण्डों का उप–विभाजन कर विक्रय किया गया है।

इस प्रकार भिलाई गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिस पर पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 25.10.2012, 17.01.2013, 19.03.2015, 14.08.2015, 11.11.2015, 21.01.2016, 25.06.2016, 19.07.2016, 23.11.2016, 02.05.2017, 26.10.2017, 27.12.2017, 20.12. 2018, 02.01.2019, 19.03.2019, 17.07.2019, 25.08.2021, 01.09.2021 का संदर्भ देते हुए इस कार्यालय द्वारा अंतिम सूचना क्रमांक सात/दो/भ.अ./2025/1857 भिलाई दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से अंतिम नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका कोई जवाब आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है। नियमों के निरंतर उल्लंघन से उपरोक्त कॉलोनी, अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–एफ (2) में प्रावधान किया गया है कि "आयुक्त, अवैध कालोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध अधिग्रहित करने के प्रयोजन के लिये स्थानीय समाचार पत्रों में 3 बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा, उक्त क्रम में प्रथम सार्वजनिक सूचना क्रमांक 199 दिनांक 22.05.2026 एवं द्वितीय सार्वजनिक सूचना क्रमांक 310 दिनांक 10.06.2026 को प्रकाशन किया गया है। ऐसी सूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी कॉलोनी निर्माण करने वाले या भू–खण्ड धारक से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आयुक्त द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो आयुक्त ऐसी भूमि का प्रबंध अधिग्रहित करेगा और उस क्षेत्र के लिये योजना बनायेगा तथा उसे ऐसी रीति तथा ऐसी शर्तो के अध्याधीन विकसित करेगा जैसे कि विहित किया जाये।"

उपरोक्त तथ्यात्मक/वैधानिक स्थितियों पर समुचित विचारोपरांत नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा मेंसर्स लैण्डमार्क डेवलपर्स, प्रो. श्री रविन्द्र सिंह कुशवाहा, आनंद नगर, भिलाई द्वारा ग्राम कोहका, प.ह.नं. 14, खसरा क्रमांक 2047/2, 03, 04, 05 कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर में विकसित मैत्री विहार कॉलोनी एवं उक्त भूमि का प्रबंध निगम द्वारा अधिग्रहित किये जाने का प्रस्ताव है। यदि उक्त कॉलोनी/भूमि का प्रबंध निगम द्वारा अधिग्रहित किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय में कक्ष क्रमांक 04 में स्वयं या प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई

पृ.क्रं./न.नि.भि./भ.अ.वि./419/2026 **भिलाई, दिनांक 02/07/2026**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला–दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं 02 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन 1–नेहरू नगर, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यालयीन सूचना पटल।
7. मेंसर्स लैण्डमार्क डेवलपर्स, प्रो. श्री रविन्द्र सिंह कुशवाहा, आनंद नगर, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
भिलाई